रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012022-232944
CG-DL-E-28012022-232944

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2022/माघ 7, 1943
No. 57] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/ MAGHA 7, 1943

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2022.

सं. सी-3/7/(5)/2021- एफईए-1.—धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खंड (बी) के उप-खंड (i) के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की उक्त धारा की उप-धारा (1) के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देता है, अर्थात् :-

दूरसंचार टैरिफ (छियासठवां संशोधन) आदेश, 2022

(2022 का 1)

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:**

   1. इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (छियासठवां संशोधन) आदेश, 2022 कहा जा सकता है।

   2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों के भीतर लागू होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खंड 6 में, उप-खंड (x) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

   "(xi) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता तीस दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर प्रदान करेगा।

(xii) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर प्रदान करेगा जिसका हर महीने की एक ही तारीख को नवीनीकरण होगा।"

कौशल किशोर, सलाहकार (एफ एंड ईए)

[विज्ञापन-III/4/असा./617/2021-22]

नोट 1 - दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 99/3 दिनांक 9 मार्च, 1999 के तहत प्रकाशित किया गया था, और बाद में नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया गया था: -

संशोधन क्र.	अधिसूचना संख्या और तिथि
1ला	301-4/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 30.3.1999
2रा	301-4/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 31.5.1999
3रा	301-4/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 31.5.1999
4था	301-4/99-ट्राई (इकॉन) दिनांक 28.7.1999
5वां	301-4/99-ट्राई (इकॉन) दिनांक 17.9.1999
6वां	301-4/99-ट्राई (इकॉन) दिनांक 30.9.1999
7वां	301-8/2000-ट्राई (इकॉन) दिनांक 30.3.2000
8वां	301-8/2000-ट्राई (इकॉन) दिनांक 31.7.2000
9वां	301-8/2000-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 28.8.2000
10 वां	306-1/99-ट्राई (इकॉन) दिनांक 9.11.2000
11 वां	310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 25.1.2001
12 वां	301-9/2000-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 25.1.2001
13 वां	303-4/ट्राई-2001 दिनांक 1.5.2001
14 वां	306-2/ट्राई-2001 दिनांक 24.5.2001
15 वां	310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 20.7.2001
16 वां	310-5(17)/2001-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 14.8.2001
17 वां	301/2/2002-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 22.1.2002
18 वां	303/3/2002-ट्राई (इकॉन) दिनांक 30.1.2002
19 वां	303/3/2002-ट्राई (इकॉन) दिनांक 28.02.2002
20 वां	312-7/2001-ट्राई (इकॉन) 14.3.2002
21 वां	301-6/2002-ट्राई (इकॉन) दिनांक 13.6.2002
22 वां	312-5/2002-ट्राई (इको) दिनांक 4.7.2002
23 वां	303/8/2002-ट्राई (इकॉन) दिनांक 6.9.2002
24 वां	306-2/2003-इकॉन दिनांक 24.1.2003
25 वां	306-2/2003-इकॉन दिनांक 12.3.2003
26 वां	306-2/2003-इकॉन दिनांक 27.3.2003
27 वां	303/6/2003-ट्राई (इकॉन) दिनांक 25.4.2003
28 वां	301-51/2003-इकॉन दिनांक 5.11.2003
29 वां	301-56/2003-इकॉन दिनांक 3.12.2003

30 वां	301-4/2004(इकॉन) दिनांक 16.1.2004
31 वां	301-2/2004-इको दिनांक 7.7.2004
32 वां	301-37/2004-इको दिनांक 7.10.2004
33 वां	301-31/2004-इको दिनांक 8.12.2004
34 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 11.3.2005
35 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 31.3.2005
36 वां	312-7/2003-इको दिनांक 21.4.2005
37 वां	312-7/2003-इको दिनांक 2.5.2005
38 वां	312-7/2003-इको दिनांक 2.6.2005
39 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 8.9.2005
40 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 16.9.2005
41 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 29.11.2005
42 वां	301-34/2005-इको दिनांक 7.3.2006
43 वां	301-2/2006-इको दिनांक 21.3.2006
44 वां	301-34/2006-इको दिनांक 24.01.2007
45 वां	301-18/2007-इको दिनांक 5.6.2007
46 वां	301-36/2007-इको दिनांक 24.01.2008
47 वां	301-14/2008-इको दिनांक 17.3.2008
48 वां	301-31/2007-इको दिनांक 1.9.2008
49 वां	301-25/2009-ईआर दिनांक 20.11.2009
50 वां	301-24/2012-ईआर दिनांक 19.4.2012
51 वां	301-26/2011-ईआर दिनांक 19.4.2012
52 वां	301-41/2012-एफ एंड ईए दिनांक 19.09.2012
53 वां	301-39/2012-एफ एंड ईए दिनांक 1.10.2012
54 वां	301-59/2012-एफ एंड ईए दिनांक 05.11.2012
55 वां	301-10/2012-एफ एंड ईए दिनांक 17.06.2013
56 वां	301-26/2012-ईआर दिनांक 26.11.2013
57 वां	312-2/2013-एफ एंड ईए दिनांक 14.07.2014
58 वां	312-2/2013- एफ एंड ईए दिनांक 01.08.2014
59 वां	310-5 (2)/2013-एफ एंड ईए दिनांक 21.11.2014
60 वां	301-16/2014-एफ एंड ईए दिनांक 09.04.2015
61 वां	301-30/2016-एफ एंड ईए दिनांक 22.11.2016
62 वां	301-30/2016-एफ एंड ईए दिनांक 27.12.2016
63 वां	312-1/2017-एफ एंड ईए दिनांक 16.02.2018
64 वां	301-20/2018-एफ एंड ईए दिनांक 24.09.2018
65 वां	301-03/2020-एफ एंड ईए दिनांक 03.06.2020

नोट 2. - व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (**छियासठवां** संशोधन) आदेश, 2022 का कारण बताता है।

विवरणात्मक ज्ञापन

1. **परिचय**

1.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ("भादूविप्रा"/" प्राधिकरण") की स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 ("अधिनियम") के तहत अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए की गई है। इस आशय के लिए, भादूविप्रा को भारत में दूरसंचार क्षेत्र के लिए टैरिफ को विनियमित करने का अधिदेश दिया गया है।

1.2 अधिनियम की धारा 11(2) में प्रावधान है, "भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण समय-समय पर, आदेश द्वारा, सरकारी राजपत्र में उन दरों को अधिसूचित कर सकता है, जिन पर भारत के भीतर और भारत के बाहर दूरसंचार सेवाएं इस अधिनियम के तहत प्रदान की जाएंगी, जिसमें वे दरें भी शामिल हैं जिन पर संदेश भारत के बाहर किसी भी देश में प्रसारित किए जाएंगे:

बशर्ते कि प्राधिकरण समान दूरसंचार सेवाओं के लिए अलग-अलग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए अलग-अलग दरों को अधिसूचित कर सकता है और जहां अलग-अलग दरें पूर्वोक्त के रूप में तय की जाती हैं, प्राधिकरण इसके लिए कारण दर्ज करेगा।

1.3 आगे अधिनियम की धारा 11(4) में यह भी अनिवार्य है कि "प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा"।

1.4 टैरिफ को विनियमित करने में, भादूविप्रा पिछले कुछ वर्षों में नियामक निरीक्षण दायित्व के साथ 'पूर्वानुमोदन चरण के साथ फोरबियरेन्स से 'कार्योत्तर रिपोर्टिंग दायित्व के साथ फोरबियरेन्स रेजीम' के रुख मे आ गया है। फलत : उपभोक्ताओ हेतु किफायती और प्रतिस्पर्धी मूल्य पर दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए नए और अभिनव टैरिफ-उत्पादों की बाज़ार मे उप्लब्ता बढ़ी है। यह प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा किए गए टैरिफ की संख्या और संरचना में परिलक्षित होता है। हालांकि, विभिन्न चैनलों के माध्यम से उपभोक्ताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, यह नोट किया गया है कि टीएसपी द्वारा पेश किए गए कुछ टैरिफ/वाउचर और उनकी वैधता अवधि उपभोक्ताओं के एक वर्ग की जरूरतो और संतुष्टि के अनुरूप नहीं है।

2. **परामर्श प्रक्रिया**

2.1 हाल ही में भादुविप्रा को टी एस पी की 28 दिनों की वैधता अवधि वाले टैरिफ, जिन्हे मासिक टैरिफ के तौर पर पर नही माना जा सकता है के संदर्भ में कई शिकायते और आवेदन प्राप्त हुए है । यह देखते हुए कि वैधता अवधि एक कैलेंडर माह के बजाय 28 दिनों की है ,उन्हें एक वर्ष में 13 रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है जिससे की उन्हे असुविधा होती है। उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायतों में कहा है कि 28 दिनों की वैधता अवधि न केवल भ्रम पैदा करती है, बल्कि उन्हें भुगतान के एवज मे कम सेवा मिलने का एहसास भी कराती है।

इस संबंध में संसद मै पूछे गए प्रश्नों के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा प्राप्त विभिन्न शिकायतों और आरटीआई आवेदनों से उपभोक्ता के दृष्टिकोण मे बेचैनी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

2.2 जबकि भादूविप्रा ने पाया कि टीएसपी उक्त टैरिफ की वैधता अवधि को 28 दिनों के रूप में पेश करने में पारदर्शी रहे हैं, और आम तौर पर इसे मासिक टैरिफ के तौर पर में बाजार में पेश करने का प्रयास नहीं किया है, फिर भी यह महसूस किया जाता है कि उपभोक्ता दृष्टिकोण और उपभोक्ता की पसंद के नजरिए से भी इस मुद्दे को देखना और परखना आवश्यक है। इसके अलावा, इस संबंध में प्राप्त शिकायतों, आवेदनों और संसद में पूछे गये प्रश्न भी उपभोक्ताओं के मन में भ्रम की स्थिति और मासिक टैरिफ पेशकशों की अनुपलब्धता के कारण व्यावहारिक रूप से उन्हें हुई असुविधा की द्योतक हैं।

2.3 तदनुसार इस मुद्दे पर टीएसपी के साथ चर्चा की गई। टीएसपी ने बताया कि चूंकि सेवाएं प्रीपेड हैं, इसलिए टैरिफ अवधि के बारे में जिसके लिए सेवाएं दी जानी हैं स्पष्टता और वस्तु निष्ठता होनी चाहिए, चूंकि विभिन्न कैलेंडर महीनों में अलग-अलग दिन होते हैं, प्रीपेड सेवाओं के लिए टैरिफ पेशकशों और शुल्कों का आधार एक कैलेंडर माह नहीं होना चाहिए। संभावित असुविधा के सवाल पर, उनके द्वारा कहा गया कि 30 दिनों के लिए टैरिफ अनिवार्य होने पर भी उसका समाधान नहीं किया जा सकता है क्योकि उपभोक्ताओं को 31 दिनों वाले महीनों में एक से

अधिक बार रिचार्ज करना होगा। यह बताया गया कि पोस्टपेड सेवाओं के विपरीत, जहां मासिक आधार पर निश्चित बिलिंग चक्र की अवधारणा का पालन किया जाता है, प्रीपेड सेवाएं रिचार्ज की तारीख से फिर से शुरू होती हैं और एक निश्चित मासिक बिलिंग अवधि के बजाय दिनों और हफ्तों की संख्या के रूप में व्यक्त टैरिफ ऑफ़र की वैधता अवधि का पालन करती हैं।

2.4 इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के विचार प्राप्त करने के लिए, भादूविप्रा ने 13.05.2021 को "टैरिफ ऑफ़र की वैधता अवधि " पर एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र का उद्देश्य ऐसे टैरिफों की पहचान करना था जो उपभोक्ताओं के एक बड़े वर्ग की संतुष्टि के अनुकूल नहीं हैं, और सेवा प्रदाताओं और उनकी वैधता अवधि के मुद्दों को उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की संभावना का पता लगाना, तथा यदि आवश्यक हो, तो इसके लिए नियामक ढांचे में संशोधन करना था।

2.5 तदनुसार, हितधारकों से निम्नलिखित विकल्पो पर विचार मांगे गए थे, जैसे (i) टीएसपी को कितने भी दिनों के लिए टैरिफ की निवर्तमान तोर तरीकों के अलावा 30 दिनों के लिए प्रीपेड टैरिफ/वाउचर (सभी प्रकार के जैसे स्पेशल टैरिफ वाउचर, कॉम्बो वाउचर, आदि) देना अनिवार्य हो , (ii) टीएसपी को प्रीपेड टैरिफ को 'मासिक' वैधता के साथ अनिवार्य करना, जिसमें टैरिफ केवल प्रत्येक महीने की एक ही तारीख को नवीनीकरण योग्य हो, और / या (iii) टीएसपी को 28 दिनों की वर्तमान पेशकश के अलावा 29/30/31 दिनों की अवधि के लिए दूरसंचार टैरिफ प्रदान करने के लिए अनिवार्य करना।

2.6 परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां क्रमशः 11.06.2021 और 25.06.2021 तक मांगी गई थीं। व्यक्तियों, उपभोक्ता हितों की वकालत करने वाले समूहों, संघों, संगठनों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से कुल 84 टिप्पणियां और 02 प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुईं, जिन्हें भादूविप्रा की वेबसाइट पर विधिवत अपलोड किया गया था।

2.7 प्रचलित प्रथा के अनुसार, 28.07.2021 को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से एक खुली चर्चा, ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 90 हितधारकों ने भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए।

इसके बाद, हितधारकों को अपनी ओर से पूरक टिप्पणी, को देने का भी अवसर दिया गया। एक उपभोक्ता समर्थन समूह और दो सेवा प्रदाताओं से ओएचडी के बाद पूरक टिप्पणियां प्राप्त हुईं।

3. हितधारको के विचार :

3.1 इस सवाल पर कि "क्या निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि को 30 दिन या एक महीने के रूप में माना जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक महीने की एक ही तारीख को टैरिफ ऑफर को नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है या 28 दिनों के लिए टैरिफ ऑफर पेशकश की वर्तमान प्रथा के अतिरिक्त 29/20/31 दिनों के लिए अलग टैरिफ ऑफर अनिवार्य किया जाए?", अधिकांश उपभोक्ताओं और उपभोक्ता हितों की वकालत करने वाले समूहों का विचार है कि भादूविप्रा को टैरिफ की वैधता अवधि के मुद्दे में हस्तक्षेप करना चाहिए। तथापि, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का विचार था कि टैरिफ प्रस्तावों और बिलिंग चक्र में वैधता अवधि सहित फोरबेयरन्स की निवर्तमान नीति जारी रहनी चाहिए और टैरिफ प्रस्तावों की वैधता अवधि के मुद्दे पर किसी नियामक हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3.2 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का सार:

(क) एयरटेल

- प्रीपेड ग्राहकों का एक बड़ा प्रतिशत बहुत कम आय वर्ग से संबंधित है; समाज के ऐसे वर्ग के लिए 28 दिनों की वैधता का मतलब है कि वे साप्ताहिक आधार पर अपने उपयोग का बजट बनाते हैं जो उनके मोबाइल खर्चों को बेहतर और संगठित तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है।
- केवल 30 दिनों या एक महीने की विशिष्ट वैधता वाले टैरिफ़ ऑफर को प्रत्येक महीने की एक ही तारीख को टैरिफ़ का नवीनीकरण करने की आवश्यकता के साथ अनिवार्य करना, उन प्रीपेड ग्राहक के लिए कोई मूल्यवर्धन नहीं हो सकता है, जिनकी रिचार्ज प्राथमिकताएं इस तरह के एक बार की पेशकश की शुरूआत से बदल नहीं सकती हैं।

- "बिलिंग चक्र" की अवधारणा की अनुपस्थिति के कारण प्रीपेड यात्रा पूरी तरह से अलग है और सेवा की निरंतरता उसी के साथ जुड़े विशिष्ट लाभों और वैधता के साथ खरीदे गए पैक पर निर्भर है।

(ख) आर जे आई ओ

- प्रीपेड टैरिफ के साप्ताहिक ढांचे से पहले, प्रचलित टैरिफ वैधता 30 दिन या उसके गुणकों में थी, जैसा कि परामर्श पत्र में उल्लेख किया गया है इस प्रकार, हमें नहीं लगता कि प्राधिकरण द्वारा प्राप्त मांग पत्रो और अभ्यावेदनों में 29 या 31 दिनों की वैधता के लिए या इस मामले में, प्रत्येक महीने में एक ही दिन नवीकर्णीय आदि मुद्दों से संबन्धित होगा। इस प्रकार, यदि आवश्यक हो, तो 30 दिनों की वैधता अवधि वाली टैरिफ पेशकश पर्याप्त होगी ।
- मासिक टैरिफ यानी, जिसमें ग्राहक को हर महीने एक ही दिन पर एक ही निश्चित राशि के साथ रिचार्ज करने की आवश्यकता हो, तो यह तकनीकी रूप से संभव नहीं है, क्योंकि यह मुख्य रूप से एक पोस्टपेड संरचना है। इस तरह के टैरिफ ढांचे का लाभ उठाने के लिए सब्सक्राइबर पोस्टपेड प्लान के लिए एडवांस रेंटल विकल्प चुन सकते हैं।

(ग) बीएसएनएल

- प्रीपेड जीएसएम सेवाओं के लिए, बीएसएनएल पहले से ही अलग-अलग वैधता अवधि वाले प्रीपेड वाउचर दे रहा है, जिसमें 28/29/30 और 31 दिनों के वाउचर शामिल हैं। प्रीपेड बिलिंग सिस्टम को वैधता अवधि के मामले में दिनों की संख्या के आधार पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- प्रत्येक महीने की एक ही तारीख को टैरिफ का नवीनीकरण करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वाउचर की वैधता (28, 29, 30 या 31 दिन) वाउचर की वैधता को परिवर्तनीय बना देगा और और ऐसे वाउचर जिनमें दिनों की परिवर्तनीय संख्या की वैधता है, वर्तमान बिलिंग प्रणाली में तकनीकी रूप से कॉन्फ़िगर नहीं किए जा सकते हैं।

(घ) वीआईएल

- बाज़ार में विगत एक दशक से प्रचलित मौजूदा 28/56/84 दिनों की वैधता संरचना में कोई भी बदलाव एक बड़ा बदलाव होगा और इसके लिए उपभोक्ता जागरूकता, बिलिंग सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन, अपने और थर्ड पार्टी के चैनलों और खुदरा चैनलों को शिक्षित करने में बडे स्तर के प्रयास की जरूरत होगी ।
- चूंकि 'महीने के दिन' 30 दिनों पर स्थिर नहीं होते हैं, इसलिए ग्राहक रिचार्ज बाद के नवीनीकरण की तारीख वैधता के दोनों संस्करणों के दौरान बदलते रहेंगे। हालांकि, 28/56/84 दिन के पैक के साथ, ग्राहक नवीनीकरण चक्र उसी सप्ताह में होगा जिस दिन पहले वाला रिचार्ज किया गया था।
- तकनीकी प्रणाली अर्थात मुख्य रूप से आईएन प्रणाली, 7/14/28/30 दिनों की वैधता जैसे निश्चित दिनों की वैधता के साथ प्रीपेड पेशकशों के विन्यास के लिए वर्षों से डिजाइन और विकसित की गई है, जिसमें अगले महीने के दिनों की संख्या के बावजूद, अगले महीने में उसी तारीख (प्रारंभिक रिचार्ज के रूप में) पर अगले रिचार्ज के लिए नियत तारीख निर्धारित करना संभव नहीं है। इस प्रकार, मौजूदा सिस्टम में सपोर्टिंग रीचार्ज के लिए तकनीकी सीमा होगी जिसकी वैधता एक वर्ष में प्रत्येक कैलेंडर माह में एक ही दिन समाप्त हो जाती है।

3.3 उपभोक्ता हितो की वकालत करने वाली संस्थाओ (सी ए जी) की टिप्पणी :

i) **कंज्यूमर केयर सोसाइटी: इस शर्त के साथ कि हर महीने की एक ही तारीख को प्लान का नवीनीकरण किया जाए (निर्दिष्ट अवधि एक महीने की होनी चाहिए)। उस बदलाव के साथ** 28/29/30/31 **दिनों के लिए** अलग से **टैरिफ ऑफर की कोई जरूरत नहीं है।**

ii) **एनसीएचएसई, कंज्यूमर गिल्ड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन:** मासिक टैरिफ को लेकर उपभोक्ताओं में बहुत भ्रम है, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि मासिक प्रीपेड प्लान चाहे महीने में कितने भी दिन हों हर महीने एक ही तारीख को नवीनीकृत किए जाने चाहिए।

iii) **कंज्यूमर वॉइस**: वैधता अवधि को 1 दिन / 7 दिन / 15 दिन और एक महीने के लिए मानकीकृत किया जाना चाहिए। अन्य सभी वैधता अवधि अमान्य होनी चाहिए। एक महीने की वैधता का मतलब यह होना चाहिए कि नवीनीकरण अगले महीने की उसी तारीख को होने वाला है।

3.4 कंपनियों/संगठनों/फर्मों की टिप्पणी

i) **पर्सुटेक्स एलएलपी**: सभी तिथियां/दिन स्वीकार्य होने चाहिए। हालांकि, कीमतों और वैधता के अनुसार अंतर करने के लिए कीमत और गुणवत्ता में स्पष्ट अंतर होना चाहिए जिसमें उपभोक्ता के पास वांछित वैधता की सदस्यता लेने का विकल्प हो। इसके अलावा, भादूविप्रा को उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 30 दिनों की वैधता अवधि वाले स्टैंडर्ड रिचार्ज वाउचर को अनिवार्य करना चाहिए।

ii) **दुआ कंसल्टिंग**: टैरिफ वैधता अवधि को प्रत्येक माह की नियत तिथि को नवीनी करण योग्य किया जा सकता है।

3.5 लोगों की टिप्पणी

30 दिनों की वैधता अवधि के बाद इनकमिंग सुविधा (आउटगोइंग कॉल्स को छोड़कर) के लिए 15 दिनों की छूट अवधि के साथ वैधता अवधि 30 दिनों की होनी चाहिए। 28 दिनों की वैधता अवधि अप्रत्यक्ष रूप से टीएसपी को अनुचित लाभ दे रही है। भारतीय मोबाइल उपभोक्ता समुदाय के लिए एक लचीली सेवाओं के बुके का विस्तार करने के लिए 28/29/30/31 दिनों के लिए अलग टैरिफ ऑफ़र मौजूद होने चाहिए। अवधि एक माह की होनी चाहिए जिसमें केवल प्रत्येक माह की एक ही तारीख को टैरिफ का नवीनीकरण करने की बाध्यता हो।

4. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का विश्लेषण:

4.1 एक टीएसपी, यानी बीएसएनएल पहले से ही 30 दिनों की वैधता और 30 दिनों के गुणकों में एसटीवी और सीवी चला रहा है। परामर्श पत्र जारी होने के बाद, अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने भी 30 दिनों की वैधता अवधि वाले टैरिफ़ बतौर स्पेशल टैरिफ़ वाउचर पेश किए गए हैं।

4.2 अगर प्रीपेड टैरिफ प्लान 30 दिनों की वैधता के साथ उपलब्ध है, तो उपभोक्ताओं के पास मासिक रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध होती है तो उपभोक्ताओ कों ज्यादा विकल्प मिलता है। उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प होंगे वे उन्हें 28 दिनों की वैधता अवधि वाले टैरिफ़ पैक/उत्पादों का उपयोग करके रिचार्ज करने के लिए बाध्य नहीं होंगे । 30 दिनों की वैधता अवधि के साथ पीवी/एसटीवी/कॉम्बो वाउचर की उपलब्धता इस प्रकार उपभोक्ताओं को एक सुविचारित टैरिफ़-संबंधी विकल्प चुनने में सक्षम बनाएगी।

4.3 जैसा कि ऊपर बताया गया है, हितधारकों के विचारों में स्पष्ट मत भिन्नता है , जहा एक तरफ सेवा प्रदाताओ ने टैरिफ पेशकश की वैधता अवधि के संबंध मे निवर्तमान फोरबियरेन्स रेजीम, जिसमे आमतौर पर दिनो, हफ़्तों और उसके गुणको के संदर्भ में दिया जाता है , को जारी रखने की मांग को दुहराया है, वही एक सेवा प्रदाता ने प्री – पैड ग्राहको के लिए 30 दिनों की वैधता अवधि वाली टैरिफ पेशकश का सुझाव दिया है वही एक टी एस पी का प्री-पेड ग्राहकों के लिए 30 दिनों की वैधता के साथ एक टैरिफ ऑफर के लिए सुझाव भी है। अन्य हितधारकों द्वारा अभिव्यक्त चिंताओं को दूर करने के लिए प्रचलित मोजूदा विभिन्न टैरिफ पेशकशों के अलावा मासिक टैरिफ होना चाहिए। दूसरी ओर, उपभोक्ता हितो के वकालत समूहों, परामर्श संगठनों और अन्य ग्राहकों का विचार है कि 30 दिनों के टैरिफ को अनिवार्य करने के अलावा, प्रत्येक महीने की एक ही तारीख को रिचार्जेवल एक मासिक टैरिफ ऑफरिंग भी प्रदान किया जाना चाहिए।

4.4 टैरिफ ऑफ़र की वैधता अवधि पर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की समीक्षा करते समय, यह देखा गया है कि वोडाफोन यूके 30 दिनों की वैधता अवधि के लिए "पे ऐज़ यू गो" टैरिफ प्रदान करता है, और यूके की एक अन्य दूरसंचार कंपनी ओ2 एक महीने की अवधि के लिए पे ऐज़ यू गो टैरिफ प्रदान करती है। वेरिजॉन, युएसए भी अपनी प्रीपेड सेवाओं को चार्ज करने के लिए एक मासिक प्रणाली का पालन करता है और स्पष्ट करता है कि "मासिक प्रीपेड प्लान हर महीने एक ही तारीख को नवीनीकृत होते हैं, चाहे महीने में कितने भी दिन हों।" चूंकि हर महीने की एक ही तारीख को रिचार्ज किए जाने वाले प्रीपेड टैरिफ की उपलब्धता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलन में है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि भारतीय दूरसंचार उपभोक्ताओं को भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए।

4.5 इस संबंध में सभी हितधारकों और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का विचार है कि अनिवार्यत : (1) कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर जिसकी वैधता 30 दिनों की हो जो , और (2) कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर हर महीने की एक ही तारीख को नवीकरणीय हो , मासिक टैरिफ और उसके मासिक रिचार्ज का विकल्प भी ग्राहकों की किसी अन्य चिंता को दूर करेगा । उपरोक्त व्यवस्था न केवल वैधता अवधि के संदर्भ में टैरिफ के डिजाइन और लॉन्च में टीएसपी को निवर्तमान स्वतंत्रता की निरंतरता सुनिश्चित करेगा, बल्कि मासिक

और उसी तिथि रिचार्ज / टैरिफ चयन विकल्प देकर उपभोक्ताओं को सशक्त भी करेगा। तदनुसार, खंड 6 (फ्लेक्सिबिलिटी और पैकेज) के उप-खंड (x) के बाद, उप-खंड को सम्मिलित करके, दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 की धारा III (दूरसंचार सेवाओं के लिए शुल्क) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है कि (xi) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर प्रदान करेगा जिसकी वैधता 30 दिनों की हो और उप-खंड (xii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर प्रदान करेगा जो हर महीने की एक ही तारीख को नवीकरणीय होगा।

4.6 टीएसपी ने कहा है कि हर महीने की एक ही तारीख को रिचार्ज करने को अनिवार्य करने के लिए उनकी बिलिंग और संबंधित प्रणालियों में तकनीकी बदलाव की आवश्यकता होगी। जैसा कि उनके द्वारा यह भी कहा गया है, उनके मौजूदा बिलिंग, सीआरएम और आईएन सिस्टम वर्तमान में एक विशेष तरीके से कॉन्फ़िगर किए गए हैं, और वैधता अवधि के विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन को सक्षम करने के लिए इन तकनीकी प्रणालियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। प्राधिकरण का विचार है कि टैरिफ की वैधता अवधि के लिए नियामक व्यवस्था में किसी भी परिवर्तन के कार्यान्वयन के लिए अपने सिस्टम को पुन: कॉन्फ़िगर करने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, यह निर्णय लिया जाता है कि तत्काल आदेश को 60 दिनों के भीतर लागू किया जाए क्योंकि इस अवधि के दौरान टीएसपी द्वारा अपने सिस्टम में अपेक्षित संशोधन किए जा सकते हैं।

अस्वीकरण : यह दूरसंचार टैरिफ आदेश मूल रूप से अंग्रेज़ी में लिखित दूरसंचार टैरिफ आदेश (छियासठवां संशोधन) का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति होती है तो अंग्रेज़ी में लिखित दूरसंचार टैरिफ आदेश (छियासठवां संशोधन) मान्य होगा।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2022

No. C-3/7/(5)/2021-FEA-1.—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely: -

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SIXTY SIXTH AMENDMENT) ORDER, 2022

(1 of 2022)

1. Short title, extent and commencement:

(1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Sixty Sixth Amendment) Order, 2022.

(2) This Order shall come into force within sixty days from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 6 of the Telecommunication Tariff Order, 1999, after sub-clause (x), the following sub-clauses shall be inserted, namely:-

"(xi) Every Telecom Service Provider shall offer at least one Plan Voucher, one Special Tariff Voucher and one Combo Voucher having a validity of thirty days.

(xii) Every Telecom Service Provider shall offer at least one Plan Voucher, one Special Tariff Voucher and one Combo Voucher which shall be renewable on the same date of every month.”

KAUSHAL KISHORE, Advisor (F& EA)

[ADVT.-III/4/Exty./617/2021-22]

Note.1. The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No.99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below: -

Amendment No.	Notification No. and Date
1st	301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.3.1999
2nd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
3rd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
4th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.7.1999
5th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.9.1999
6th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.9.1999
7th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.3.2000
8th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.7.2000
9th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.8.2000
10th	306-1/99-TRAI(Econ) dated 9.11.2000
11th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.1.2001
12th	301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.1.2001
13th	303-4/TRAI-2001 dated 1.5.2001
14th	306-2/TRAI-2001 dated 24.5.2001
15th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.7.2001
16th	310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14.8.2001
17th	301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.1.2002
18th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.1.2002
19th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.2.2002
20th	312-7/2001-TRAI(Econ) 14.3.2002
21st	301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.6.2002
22nd	312-5/2002-TRAI(Eco) dated 4.7.2002
23rd	303/8/2002-TRAI(Econ) dated 6.9.2002
24th	306-2/2003-Econ dated 24.1.2003
25th	306-2/2003-Econ dated 12.3.2003
26th	306-2/2003-Econ dated 27.3.2003
27th	303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.4.2003
28th	301-51/2003-Econ dated 5.11.2003
29th	301-56/2003-Econ dated 3.12.2003
30th	301-4/2004(Econ) dated 16.1.2004
31st	301-2/2004-Eco dated 7.7.2004
32nd	301-37/2004-Eco dated 7.10.2004
33rd	301-31/2004-Eco dated 8.12.2004

34th	310-3(1)/2003-Eco dated 11.3.2005
35th	310-3(1)/2003-Eco dated 31.3.2005
36th	312-7/2003-Eco dated 21.4.2005
37th	312-7/2003-Eco dated 2.5.2005
38th	312-7/2003-Eco dated 2.6.2005
39th	310-3(1)/2003-Eco dated 8.9.2005
40th	310-3(1)/2003-Eco dated 16.9.2005
41st	310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005
42nd	301-34/2005-Eco dated 7.3.2006
43rd	301-2/2006-Eco dated 21.3.2006
44th	301-34/2006-Eco dated 24.1.2007
45th	301-18/2007-Eco dated 5.6.2007
46th	301-36/2007-Eco dated 24.1.2008
47th	301-14/2008-Eco dated 17.3.2008
48th	301-31/2007-Eco dated 1.9.2008
49th	301-25/2009-ER dated 20.11.2009
50th	301-24/2012-ER dated 19.4.2012
51st	301-26/2011-ER dated 19.4.2012
52nd	301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012
53rd	301-39/2012-F&EA dated 1.10.2012
54th	301-59/2012-F&EA dated 05.11.2012
55th	301-10/2012-F&EA dated 17.06.2013
56th	301-26/2012-ER dated 26.11.2013
57th	312-2/2013-F&EA dated 14.07.2014
58th	312-2/2013- F&EA dated 01.08.2014
59th	310-5 (2)/2013-F&EA dated 21.11.2014
60th	301-16/2014-F&EA dated 09.04.2015
61st	301-30/2016-F&EA dated 22.11.2016
62nd	301-30/2016-F&EA dated 27.12.2016
63rd	312-1/2017-F&EA dated 16.02.2018
64th	301-20/2018-F&EA dated 24.09.2018
65th	301-03/2020-F& EA dated 03.06.2020

Note 2. –The Explanatory Memorandum explains the reason for the Telecommunication Tariff (Sixty Sixth Amendment) Order, 2022.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Introduction

1.1 The Telecom Regulatory Authority of India ("TRAI"/"Authority") is established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 ("Act") to *inter-alia,* protect the interest of consumers of the telecom sector. To this effect, TRAI has been mandated to regulate tariff for telecommunication sector in India.

1.2 Section 11(2) of the Act provides, "Notwithstanding anything contained in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Authority may, from time to time, by order, notify in the Official Gazette the rates at which the telecommunication services within India and outside India shall be provided under this Act including the rates at which messages shall be transmitted to any country outside India:

Provided that the Authority may notify different rates for different persons or class of persons for similar telecommunication services and where different rates are fixed as aforesaid the Authority shall record the reason therefor."

1.3 Further Section 11(4) of the Act also mandates that the "Authority shall ensure transparency while exercising its powers and discharging its functions".

1.4 In regulating tariffs, TRAI has over the years moved from 'forbearance with prior approval stage' to a 'forbearance regime with post-facto reporting obligation' with regulatory oversight. The regime has led to introduction of new and innovative tariff products in the market designed to provide telecom services at affordable and competitive price to the consumers. The same is reflected in the number and the composition of tariff offers made by Telecom Service Providers (TSPs) both in the prepaid and postpaid segments. However, based on the feedback received from the consumers through various channels, it has been noted that certain tariffs/ vouchers and their validity periods offered by TSPs are not to the satisfaction of a section of consumers.

Consultation Process

2.1 Of late TRAI has been receiving a number of references from consumers regarding tariff offerings of TSPs that are valid for 28 days, and cannot be perceived as monthly tariff offerings. Consumers have stated in their complaints that the validity period of 28 days not only causes confusion but also leaves them with a sense of being short-changed. Additionally, it results in inconvenience as they need to make 13 recharges in a year, given that the validity period is 28 days, rather than a calendar month. The extent of unease from the consumer perspective is clear from Parliament Questions in this regard, as well as numerous complaints and RTI applications received by the Authority.

2.2 While TRAI observed that the TSPs have been transparent in disclosing the validity period of the said tariff offers as 28 days etc., and have not generally attempted to market the same as monthly tariffs, still it is felt that considering consumer perceptions, it is necessary to look into the issue from the perspective of consumer choice as well. Further, the complaints, references, and Parliament Questions in this regard also exemplify the persistence of confusion in the minds of the consumers and the inconvenience caused to them in practical terms due to unavailability of monthly tariff offerings.

2.3 The issue was accordingly discussed with the TSPs. The TSPs pointed out that as the services are prepaid, there has to be clarity and objectivity in the duration for which the services are to be given and since different calendar months have different number of days, a calendar month should not be the basis of tariff offerings and charges for prepaid services. On the question of possible inconvenience, it was stated by them that the same cannot be resolved even if a tariff offering for 30 days is mandated as even then consumers will have to recharge more than once in months having 31 days. It was pointed out that unlike postpaid services, where a concept of fixed billing cycle on a monthly basis is followed, prepaid services resume from the date of recharge and follow the validity period of tariff expressed in terms of number of days and weeks rather than a fixed monthly billing period.

2.4 To obtain the views of all stakeholders on the issue, TRAI issued a Consultation Paper on "Validity period of Tariff Offers" on 13.05.2021. The purpose of the consultation paper was to identify tariff offers that are not to the satisfaction of a large section of consumers, and explore the

possibility of making tariffs/ vouchers offered by service providers and their validity issues synchronous with the aspirations/ requirements of consumers and if necessary, amend the regulatory framework to this extent.

2.5 Accordingly, views of stakeholders were sought on different options viz., (i) mandating TSPs to offer prepaid tariffs/vouchers (all forms such as Special Tariff Vouchers, Combo Vouchers, etc.) for 30 days in addition to the tariff offerings for any number of days, (ii) mandating TSPs to offer prepaid tariffs with 'monthly' validity wherein the tariff becomes due for renewal only on the same date of each month, and/ or (iii) mandating the TSPs to offer telecom tariffs for the period of 29/30/31 days in addition to the present offering of 28 days.

2.6 The comments and counter-comments on the issues raised in the Consultation Paper were sought by 11.06.2021 and 25.06.2021respectively. A total of ~~84~~ comments and 02 counter-comments were received from individuals, Consumer Advocacy Groups, Associations, Organizations and Telecom Service Providers, which were duly uploaded on TRAI's website.

2.7 As per prevalent practice, an Open House Discussion (OHD) through online video conference mode was held on 28.07.2021, where approximately 90 stakeholders participated and presented their views. Thereafter, stakeholders were given an opportunity to give their supplementary comments, if any. Supplementary comments from one Consumer Advocacy Group and two Service Providers were received.

3. Views of stakeholders:

3.1 On the question of "whether the period to be specified should be considered as 30 days or a month with requirement of tariff to be renewed only on the same date of each month or separate tariff offers be mandated for 29/20/31 days in addition to the present practice of offering tariff for 28 days?", most of the consumers and consumer advocacy groups are of the view that TRAI should intervene in the issue of validity period of tariffs. However, Telecom Service Providers were of the view that the policy of forbearance in tariff offerings and billing cycle including validity period should continue and there is no need for any regulatory intervention on the issue of validity period of tariff offers.

3.2 **Gist of responses received from Telecom Service Providers:**

A. Airtel

- A large percentage of prepaid customers belong to very low-income group; a 28 days validity for such section of society means they budget their usage on a weekly basis which helps in managing their mobile expenses in a better and organized way.
- Just mandating a tariff offer with a specific validity of 30 days or a month with requirement of tariff to be renewed only on the same date of each month, may not be of any value addition to a prepaid customer whose recharge preferences may not change by introduction of such one-off offering.
- Prepaid journey is completely different due to the absence of the concept of "billing cycle" and the continuity of service is dependent upon the pack purchased with specified benefits and validity associated with the same.

B. **RJIO**

- Before the weekly structure of prepaid tariffs, the prevailing tariff validity was 30 days or multiples thereof, thus, we do not think the demands and representations received by the Authority, as mentioned in the consultation paper, would be for validity of 29 or 31 days or for that matter, same day on each month. Thus, if required, an introduction of a tariff offer with validity period of 30 days shall suffice.
- With regard to monthly tariffs, i.e., tariffs wherein the customer is required to recharge on same day every month with the same fixed amount, the same is not technically possible, as this is primarily a postpaid structure. Subscribers are at liberty to opt for an advance rental option for postpaid plans to avail such a tariff structure.

C. **BSNL**

- For prepaid GSM services, BSNL is already offering prepaid vouchers with varying validity, including those of 28/ 29/ 30 and 31 days. The prepaid billing systems have been designed to work on the basis of number of days as far as validity issue is concerned.
- Considering requirement of tariff to be renewed only on the same date of each month, will make the validity of the voucher variable (28, 29, 30 or 31 days) and such vouchers having validity of variable number of days cannot be technically configured in the present billing system.

D. **VIL**

- Any change to existing 28/56/84 days validity structure which is prevailing in the market for a decade now will be a massive change and will require gigantic efforts in terms of consumer awareness, configurations in billing systems, publications in own and 3rd party channels and retail channel education.
- Since 'days of a month' are not static at 30 days, customers recharge renewal date will continue to change during subsequent renewals, in both versions of validity. However, with 28/56/84 day packs, customer renewal cycle will positively occur on the same weekday as that of the earlier recharge.
- The technical system viz. primarily IN system, is designed and evolved over years, for configuration of prepaid offerings with validity as fixed number of days like 7/14/28/30 days validity in which it is not feasible to set the due date for next recharge to be on the same date (as of initial recharge) in the subsequent month, irrespective of the number of days in the month. Thus, there would be technical limitation in existing systems for supporting recharge which has validity expiry on same day every calendar month in a year.

3.3 **Response of CAGs**

i) **Consumer Care Society**: The period specified should be a month with the condition that the plan be renewed on the same date of each month. With that change there is no need for tariff offer for 28/29/30/31 days.

ii) **NCHSE, Consumer Guild, Consumer Protection Association:** There is lot of confusion among consumers regarding monthly tariffs, therefore it is suggested that monthly prepaid plans should be renewed on the same date every month, regardless of how many days are there in the month.

iii) **Consumer Voice**: Validity periods should be standardized to say 1 Day / 7 Days / 15 Days and one month. All other validity periods should be invalid. One Month validity should mean that renewal is due on the same date of the following month.

3.4 **Response of Companies/Organizations/Firms**

i) **Pursuitex LLP**: All dates/ days must be permissible. However, there should be visible difference in price and quality to distinguish according to the prices and validity wherein consumer will have a choice to subscribe to the validity desired. Further, TRAI should mandate Standard Recharge Voucher having 30 days validity for the convenience of consumers.

ii) **Dua Consulting**: The tariff validity period may be considered for the same date of each month.

3.5 **Response of Individuals**

The validity period must be of 30 days, with a grace period of 15 days for incoming facility (barring of outgoing calls) beyond the validity period of 30 days. The validity period of 28 days is indirectly giving undue advantage to the TSPs. Separate tariff offers should exist for 28/29/30/31 days to extend a flexible services bouquet to the Indian mobile consumer community. The period should be a month with requirement of tariff to be renewed only on the same date of each month.

4. Analysis of Comments received from stakeholders:

4.1 One TSP, i.e., BSNL is already offering STVs and CVs with a validity of 30 days and in multiples of 30 days. After the issuance of the Consultation paper, the other telecom service providers too have launched tariff offers in the form of Special Tariff Vouchers with a validity period of 30 days.

4.2 If a prepaid tariff plan is available with a validity of 30 days, consumers have a monthly recharge option, thereby improving consumer choice. Consumers would have more options and would not be compelled to recharge using tariff packs / products with a validity of 28 days. The availability of PV/STVs/Combo Vouchers with a 30 day validity period would thus enable consumers to make an informed tariff-related choice.

4.3 As has been brought out above, the views of the stakeholders are clearly divided with Service Providers reiterating their preference for the continuance of present forbearance regime with regard to validity period of tariff offers – usually given in terms of days, weeks and multiple thereof - with one TSP suggesting for at best a mandate for one tariff offer with 30 days validity for pre-paid customers. The monthly tariff offerings should be in addition to present offerings in vogue, to address the concerns raised by other stakeholders. On the other hand, consumer advocacy groups, consultancy organizations and individual customers are of the view that in addition to mandating 30 days tariff offering, a monthly tariff offering rechargeable on the same date of each month should also be provided for.

4.4 While reviewing international practices on the validity period of tariff offers, it is observed that Vodafone UK offers a "Pay As You Go" tariffs for a validity period of 30 days and another UK telecommunication company O2 provides Pay As You Go tariffs for duration of a month. Verizon, USA also follows a monthly system for charging its prepaid services and clarifies in very specific terms that "Monthly prepaid plans renew on the same date every month, regardless of how many days there are in the month." Since availability of prepaid tariffs rechargeable on same date of every month is in vogue internationally, there is no reason why such a facility should not be made available to Indian telecom consumers as well.

4.5 Considering the views of all stakeholders and international practice in this regard, the Authority is of view that mandating (1) at least one PV/STV/CV having validity of 30 days, and (2) at least one PV/STV/CV renewable on same date of every month while giving an option of monthly tariff and recharge thereof will also address any other concern in the minds of subscribers. The above will not only ensure continuation of freedom to TSPs in the design and launch of tariffs in terms of validity period but also empower consumers by giving monthly and same date recharge / tariff selection option. Accordingly, it is decided to amend Section III (Tariffs for Telecommunication Services) of the Telecommunication Tariff Order 1999, after sub-clause (x) of clause 6 (Flexibility and Packages), by inserting sub-clause (xi) to ensure that every Telecom Service Provider shall offer at least one Plan Voucher, one Special Tariff Voucher and one Combo Voucher having validity of 30 days and sub-clause (xii) to ensure that every Telecom Service Provider shall offer at least one Plan Voucher, one Special Tariff Voucher and one Combo Voucher which shall be renewable on the same date of every month.

4.6 TSPs have indicated that mandating recharge offer on same date of every month would require technical changes in their billing and associated systems. As stated by them, their existing billing, CRM and IN systems are currently configured in a particular way, and changes may need to be carried out to these technical systems to enable a different configuration of validity periods. The Authority is of view that sufficient time needs to be given to reconfigure their systems for implementation of any change in the regulatory regime for validity period of tariffs. Accordingly, it is decided that the instant order be implemented within 60 days' time as during the period the requisite modifications may be effected by the TSPs in their systems.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.01.28 13:44:45 +05'30'